प्रेस के सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 84**/2023**)

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

ट्राई ने टिप्पणियों के लिए उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया

नई दिल्ली, 14 सितंबर 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज हितधारकों की टिप्पणियों के लिए **उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023** का मसौदा जारी किया।

2. ट्राई ने 21 फरवरी 2013 को उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) अधिसूचित किया था (इसमें आगे जिसे "मूल विनियम" कहा गया है)।

3. वर्तमान में, प्राधिकरण मूल विनियमों के अंतर्गत राज्य-वार उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण कर रहा है जो विनियमों में उल्लिखित कार्यों को करने में प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं।

4. प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर डिजिटल क्षेत्र, 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उपभोक्ताओं की जिंदगी को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं भरी हुई हैं। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले समाज के विभिन्न तबकों के लिए सहायक हो सकते हैं। एआई और आईओटी समुदायों को रीयल-टाइम मार्केट सूचना प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं, संसाधन प्रबंधन को इष्टतम बनाते हैं और उपज की पैदावार को बढ़ाते हैं। एआई-पावर्ड मौसम के पूर्वानुमान आईओटी सेंसर के साथ मिलकर कृषि के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने में किसान की मदद कर सकते हैं। 5जी इनेबल्ड हाई-स्पीड कनेक्टीविटी कारोबारों एवं स्टार्टअप्स को एआई-चालित विश्लेषण से सशक्त बना सकती हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक अनुभव बेहतर हो सकता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत हो सकती है। 5जी के जरिये ऑनलाइन शिक्षा एवं रिमोट हेल्थकेयर से दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं में सुधार हुआ

है। आईओटी-संचालित आपदा पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया प्रणालियों से असुरक्षित समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूती मिली है और आपदा लचीलेपन को बढ़ावा मिला है। यदि इन प्रौद्योगिकियों का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए तो इससे पहुंच में सुधार किया जा सकता है और सामाजिक-आर्थिक अंतरों को कम किया जा सकता है।

5. डिजिटल अंतर को कम करने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर एवं वंचित समुदायों और लोगों के लिए इन उभरती प्रौद्योगियों से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जागरुकता फैलाने में उपभोक्ता संगठन एक सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। विषय आधारित कार्यक्रम करने के लिए ये संगठन इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामलों के बारे में बताने, विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं जैसे महिलाओं, किसानों, मछलीपालकों, छात्रों, इत्यादि को इसके संभावित लाभों के बारे में बताने और साइबर हाईजीन के प्रसार एवं उपभोक्ताओं को डाटा निजता पर जानकारी देने में ट्राई की मदद कर सकते हैं।

6. प्राधिकरण को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के ऐसे उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिनकी कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदगी है और जिनके पास जागरूकता सामग्री तैयार करके अभियान चलाने और विषय-आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता और अनुभव है और जो उपभोक्ताओं एवं प्राधिकरण के बीच एक इंटरफ़ेस प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण के तहत पांच से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में काम करने के लिए व्यापक पहुंच रखने वाले योग्य उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने में समर्थ बनाएगा। यह ऐसे उपभोक्ता संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।

7. विनियम का मसौदा ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 04 अक्टूबर 2023 तक खुला रहेगा।

8. किसी स्पष्टीकरण के लिए श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीएएंडआईटी) से टेलीफोन: 011-23210990 या ईमेल आईडी: advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क करें।

ह/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई